लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/LSBA/Accts/53/17/473 दिनांक: 23.11.17

प्रेषक:

बालामुरूगन डी०, भा० प्र० से०
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, पटना

सेवा में,

सभी उपविकास आयुक्त,
सह उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति

विषय: विभिन्न मदों में सेवादाताओं/आपूर्तिकत्ताओं आकस्मिक व्यय का भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक LSBA/BRLPS/01/16/102 दिनांक 15.06.2017 के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों के प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किया गया था जिसकी प्रति आपको प्रेषित की गयी थी।

कतिपय जिलों के द्वारा लाभार्थियों के अतिरिक्त विभिन्न मदों में आपूर्तिकत्ताओं /सेवादाताओं को भुगतान के प्रक्रिया से संबंधित पृच्छा की जा रही है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि लाभार्थियों के अतिरिक्त अन्य भुगतान की प्रक्रिया भी यथावत् रहेंगी तथा ऐसे भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ता/सेवादाता उत्प्रेरकों/ स्वच्छाग्रहियों /Geo Tagging हेतु सर्वेक्षण कर्त्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-

क) प्राप्त दावों की जाँच

ख) जाँचोरान्त भुगतान की राशि के प्रस्ताव पर निर्धारित अधिसीमा के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन

ग) भुगतान प्राप्त करने वाले के बैंक खाता से सम्बंधित सूचनायें यथा खाताधारक का नाम, बैंक का नाम तथा शाखा का आई.एफ.एस. कोड की जाँचोपरान्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एम.आई.एस. पर इसकी प्रविष्टि

घ) भुगतान की जाने वाली शुद्ध राशि का उनके बैंक खाते में सीधा हस्तांतरण

ङ) भुगतान के उपरान्त इसकी रोकड़ बही में प्रविष्टि तथा व्यय को संबंधित लेखा शीर्ष में लेखांकन

भुगतान से संबंधित सभी आवश्यक कागजात विपत्र /दावा/अभिश्रव/ स्वीकृतयादेश की प्रति इत्यादि भुगतान अभिश्रव (पेमेन्ट वाउचर) के रूप में संधारित की जायेगी तथा इसी के आधार पर रोकड़ बही में आवश्यक प्रविष्टि भी होगी। किसी भी परिस्थिति में ऐसे भुगतान हेतु मुख्य बैंक खाते से राशि की निकासी कर किसी अन्य बैंक खाता में स्थानांतरित नहीं की जायेगी।

आपसे अनुरोध है कि कृपया तदनुसार भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की कृपा की जाये।

2) पूर्व में कार्यालय कार्यों के लिए आकस्मिक व्यय /तुरन्त किये जाने वाले अपरिहार्य व्ययों के निष्पादन हेतु जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर क्रमश: 50000/- (पचास हजार) एवं 10000/- (दस हजार) रूपये की अधिकतम राशि नकद रखने की स्वीकृति दी गई थी। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि यह राशि जिला/प्रखण्ड कार्यालय में Imperest Advance के रूप में एकल निकासी (One Time Withdrawal) होगी तथा कालान्तर में परिक्रमी निधि के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध होगी। इस राशि से किये जाने वाले व्यय/भुगतान एक अलग लघु रोकड़बही (Petty Cash Book) में नियमित रूप से प्रविष्टि की जायेगी। प्रत्येक माह के अन्त में अथवा न्युनतम 50 प्रतिशत राशि व्यय होने के उपरान्त वास्तविक व्यय की राशि के समतुल्य राशि बैंक से निकासी कर प्रतिपूर्ति (Recoup) की जायेगी ताकि किसी भी समय में Imperest मद की उपलब्ध राशि स्वीकृत अधिकतम सीमा के अन्दर रहे। प्रतिपूर्ति की राशि निकासी के साथ ही इसकी प्रविष्टि मुख्य रोकड़ बही में कर दी जायेगी तथा राशि सम्बन्धित व्यय के लेखाशीर्ष में लेखांकित होगी।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देश के साथ पूर्व में निर्गत किये गये वित्तीय कार्यों से संबंधित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें तथा पूर्ण पारदर्शिता एवं शुद्धता के साथ वित्तीय प्रक्रियाओं का अनुपालन करें।

विश्वासभाजन

23/11/12

(बालामुरूगन डी०)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सह मिशन निदशक

प्रतिलिपि :

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।
2. निदेशक (लेखा), जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को सूचनार्थ एवं अनुपालानर्थ।
3. सभी जिला पदाधिकारी, जिला एवं जल स्वच्छता समिति को सूचनार्थ।

23/11/12

(बालामुरूगन डी०)